उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 45/2021

शमीम अंसारी वगै० बनाम् मोसोमात निरासो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
06-04-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. शमीम अंसारी 2. मो0 मुशा अंसारी 3. अकील अहमद 4. शमशेर आलम 5. अली अहमद सभी के पिता स्व0 मो0 खलील अंसारी ग्राम पाली पो0 पाली थाना पतरातु ओ0पी0 भदानीनगर जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 04/2014–15 मो0 निरासो वगै0 बनाम मो0 खलील अंसारी वो0 में दिनांक 08.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215 C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा पाली थाना न0 64 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न0 75 प्लॉट न0 61 रकवा 0.92 ए0 भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा पाली थाना नं०–64 थाना पतरातू के खाता नं०–75 प्लॉट नं०–61 रकबा–0.92 एकड़ सर्वे खतियान मनीया बेदिया एवं मनपतिया बेदिया दोनो के पिता–रूपचंद बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला के आधार पर दावा करते है। अंचल अधिकारी, पतरातू	

ने प्रतिवेदित किया है कि वर्त्तमान पंजी II के पृ० सं०–77/I पर खाता सं०–75 कुल रकबा–1.73 एकड़ भूमि की जमाबंदी शेख लेयाकत हुसैन वगै० के नाम से दर्ज है तथा रसीद 1995–96 तक निर्गत है। किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नही है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अर्थात गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी 1995–96 तक चल रहा था। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि वर्त्तमान पंजी II के पृ० सं०–77/I पर खाता सं०–75 कुल रकबा–1.73 एकड़ भूमि की जमाबंदी शेख लेयाकत हुसैन वगै० के नाम से दर्ज है तथा रसीद 1995–96 तक निर्गत है। किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नही है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है अर्थात गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 04/2014–15 मो0 निरासो वगै0 बनाम मो0 खलील अंसारी वो0 में दिनांक 08.03.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:06:37 +05:30
Location: 192.168.0.4

06.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

06.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।